21- अन्य व्यक्तियों को दिये जाने वाले उधार के लिए प्रत्याभूति के रूप में प्रत्याभूति,निक्षेप और भार

आज दिनांक.....को निष्पादित प्रत्याभूति के इस विलेख द्वारा– मेरी प्रार्थना पर जो आपने श्री..... .पुत्र.....निवासी.....को आज के दिनांक से.....वर्षों की अवधि के.....रुपया उधार दिया है, उसके प्रतिफल में, मैं अधोहस्ताक्षरी, एतद्द्वारा आपके साथ निम्नलिखित करार करता हूँ :–

यह कि उक्त श्री.....अथवा उसकी चल/अचल सम्पदा की ओर से, उक्त उधार तथा उस पर देय कुल ब्याज के भुगतान में किसी भी चूक को मैं पूरा करूँगा। प्रथम पक्ष अनुसूची में अंकित अचल सम्पत्ति का स्वामी है जो उसे विरासत में/पंजीकृत विलेख संख्या–... दिनांक .... क्रय द्वारा (जो लागू न हो उसे काट दें) प्राप्त हुई है।

(1) यह कि उक्त उधार के लिए पार्श्विक प्रतिभूति के रूप में.....रुपये प्रतिशत की दर से ब्याज सहित उसके लौटाये न जाने तक मैं इस विलेख की अनुसूची में वर्णित प्रतिभूतियों को आपके पास अविलम्ब जमा करूँगा।

(2) यह कि एतद्द्वारा उक्त प्रतिभूतियॉ मेरे द्वारा तथा उक्त उधार तथा ब्याज के भुगतान में भारित की जाती है और पूर्व प्राप्त आपकी लिखित सम्मति के बिना, उन्हें मेरे द्वारा तब तक विक्रीत या किसी प्रकार से भारग्रस्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उक्त उधार के सम्बन्ध में या इसके अधीन मुझसे आपको कुछ भी पाना शेष रहेगा।

(3) मैं, जब कभी मुझसे ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी, उक्त प्रतिभूतियों में ऐसी प्रतिभूतियों को, जो हस्तान्तरित की जाने योग्य है, विक्रय अधिकार तथा उक्त उधार और ब्याज के भुगतान के प्रवर्तन के लिए आवश्यक अन्य अधिकारों के साथ आपके पक्ष में समुचित रूप से हस्तान्तरित करूँगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

(प्रतिभू के हस्ताक्षर)